



उत्तराखण्ड न्यायिक अधिकारी बोर्ड  
कैलासपुर, उत्तराखण्ड  
10 FEB 2014  
दिनांक

UTTARAKHAND

प्रारूप 26

(नियम 4क देखिए)

22AA 430362



01 टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष  
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



भाग-क

मैं मौ० युसुफ पुत्र मौ० जोखू, आयु 69 वर्ष, जो मकान नं० 300 श्री देव सुमन नगर, देहरादून, (डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथपत्र निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं पीस पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी,

*Yusuf*

एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 21 देहरादून कैंटोनमेंट, उत्तराखण्ड (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 88 के क्रम सं० 538 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 9837867769 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) लागू नहीं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यारे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थिति:

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपयें में)
1.	स्वयं	ABCPY5499G	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2.	पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5.	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में जो दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

*m yadav*



यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपील)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

(iii) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है।

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान-प्रास्थिति	लागू नहीं



मयूर

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का यही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	10,000	30,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	S.B.I Tellkhaw or Dehra Dun A/c. 10392 891379 Rs. 68,000 D. Central Bank Post A/c. 1439217 Rs. 5000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	O.N.G.C. Rs. 10,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि-को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान, वायुयान/ याट/ पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कथ करने का वर्ष और रकम)	क्र-1 25/2-1 UAC7 8024 UP07F0630 Rs. 80,000 + 5000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



m. y. s. y.

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यारे)	लागू नहीं	6 टैला 25,000/- कुल 50,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	2,58,000	180,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. रथावर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	नगर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



myo

	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सानिटास आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंटों सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	360 अंश के सुजन नगर	299 अंश के सुजन नगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में कुल माप)	1200 वर्ग फुट	1200 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1300 वर्ग फुट	1300 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1978	2010	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	10200/-	29,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सानिटास आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	35,00,000/-	32,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूरा (i) से (v) तक कुल चालू बाजार मूल्य	35,00,000/-	32,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



सोम वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ :-  
 टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बौरे पर प्रत्येक विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*(Handwritten signature)*

	पूर्वाक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवासा से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय-कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अन्य कोई शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व दिवादाधीन है, यदि हां तो अधिलिखित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह दायित्व है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



गुस्ति या उपजीविका के ब्यारे :  
 आय : पेंशन (PRBS) + EPS  
 पति या पत्नी : अज्ञात

मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-  
INTER. C.M.T. BOY INTER College, Baram, Internal ANIGIC Department/ paper.  
 (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारा दें)

*m yung*

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए व्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी <u>मौ. सुकुम</u>				
2.	डाक का पूरा पता	<u>350 श्री देव सुभान नगर</u>				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>01 विधानी गोकुल (उत्तराखण्ड)</u>				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्वया "स्वतंत्र" लिखें)	<u>पति पत्नी</u>				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किए गए हैं।	<u>लागू नहीं</u>				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	<u>लागू नहीं</u>				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांत ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	<u>लागू नहीं</u>				
7.	..... का स्थायी लेखा सं.	दो वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाईल की गयी है	कुल दंडित आय			
	(क) अभ्यर्थी	<u>ABCOPY 54116</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>		
	(ख) पति या पत्नी	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>नहीं</u>		
	(ग) आश्रित	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>नहीं</u>		
आस्तियों और दायित्वों के बारे में (रुपये में)						
	व्यय	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	संगम आस्तियां (कुल मूल्य)	<u>2,58,000</u>	<u>1,50,000</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>
	स्थावर आस्तियां	<u>35,000</u>	<u>32,00,000</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>
(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	<u>10,000</u>	<u>29,00,000</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>
(ii)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	<u>लागू नहीं</u>	<u>12</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>	<u>लागू नहीं</u>



*(Handwritten signature)*



.....की						
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	<del>37,58,000</del> 33,80,000				
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	37,58,000	33,80,000	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी
9.	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी	नाशुंकी
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :					
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)						

### सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 16-04-2014 को सत्यापित किया।

*M. G. Singh*  
अभिसाक्षी



दिया। शपथपत्र प्रमाणित करने के अंतिम दिन को 2.00 बजे अभादन तक फाइल किया जाना चाहिए।  
 ध्यान दें कि किसी शपथ कथित करने या उक्त पत्र में उल्लिखित के अन्तर्गत या किसी नोटरी पब्लिक के द्वारा शपथ ली जानी चाहिए।  
 शपथ को पत्र जाना चाहिए और कोई शपथ नहीं लेनी चाहिए, यदि किसी मद के संक्षेप में होने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" का उल्लेख नहीं होना" उल्लिखित किया जाना चाहिए।  
 ध्यान दें कि शपथ कथित या शपथपत्र से शपथ-सम विधिक होना चाहिए।

[संख्या-101012102-111]  
 श्री. संजय सिंह, अपर सचिव  
 अधिसूचना द्वारा सशोधन किया गया—

(1) संख्यांक का.आ.726(अ), तारीख 8 मई, 2007।

(2) संख्यांक का.आ.425(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011।

My affidavit is sworn before me by

Shri..... *Mahesh Singh* .....

who is identified by Shri.....

at Dehra Dun on ..... 16-04-14

(PADAM SINGH)

Advocate & NOTARY, Dehra Dun

Note 5: In pursuance of the Judgment dated 13.09.2013 of the Hon'ble Supreme Court in WP(C) No. 121 of 2008-Resurgence India VS Election Commission of India and other, regarding the filing of incomplete affidavit of candidates, the candidates are required to fill up all columns therein. No column can be left blank. At the time of filing of affidavit, RO has to check whether all columns of the affidavit filed with the nomination paper are filled up. If not, the RO shall give a reminder to the candidate to furnish information against blank columns. The Hon'ble court has held that if there is no information to be furnished against any item, appropriate remarks such as 'Nil' or 'Not Applicable' or 'Not Known' as may be applicable shall be indicated in such column. They should not leave any column blank if a candidate fails to fill the blanks even after reminder, the nomination paper will be liable to be rejected by the RO at the time of scrutiny of nomination papers.

Note 6: In para 3 of the affidavit, the information should be furnished as follows:-

"My contact telephone no. (s) is/are ..... 9827867769 .....

my e-mail id (if any) is ..... N/A .....

and my social media accounts (if any) are ..... N/A ....."

*m yusuf*